रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 407] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 1971/श्रावण 15, 1893

No. 407] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 1971/SRAVANA 15, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

AUDYOGIK VIKAS MANTRALAYA

(Department of Internal Trade)

(Antrik Vyapar Vibhag)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August 1971

S.O. 2913.—The Central Government, having considered, in consultation with the Forward Markets Commission, the application for recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the Punjab Exchange Ltd., Delhi, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said exchange for a period of one year from the 6th August, 1971, to the 5th August, 1972 (both days inclusive) in respect of forward contracts in gur.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may from time to time be given by the Forward Markets Commission.

[No. F. 12(4)-I.T./70.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1971

का० आ० 2913.—केन्द्रीय सरकार अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन दि पंजाब एक्सचेंज लिमिटेड, दिल्ली द्वारा मान्यता के लिये किये गये आवेदन पर वायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संगम को गुड़ में अग्रिम संविदाओं के बारे में 6 अगस्त, 1971 से लेकर 5 अगस्त, 1972 तक (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) की एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ?

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त संगम ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जायें ।

[सं० 12(4)/आई० टी०/70]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971